न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।
उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 294/2026

छोटानी कुमार उर्फ काजु कुमार, पे0–सुरेन्द्र यादव
साकिन–गौरैयापर, थाना–मानपुर, जिला–नालंदा.....आवेदक
बनाम
बिहार सरकार

18.03.2026

मानपुर थाना कांड संख्या–08/2026 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 333, 74, 76, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3(1)(r)(s)(w)(i), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त छोटानी कुमार उर्फ काजु कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को दी गयी। आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में कथन किये है कि सूचिका अंशु देवी के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर मानपुर थाना कांड संख्या–08/26 दर्ज किया गया है, जिसमें आवेदक छोटानी कुमार उर्फ काजु कुमार नामजद अभियुक्त है। आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय,पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा–74, 76 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम आकृष्ट नहीं होता है तथा शेष धारा जमानतीय है। वह बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की आशंका है। उसे फरार होने की संभावना नहीं है। वे न्यायालय के आदेश को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किये हैं।

सूचिका अंशु देवी के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका दिनांक–15.01.2026 को समय करीब 8.00 बजे संध्या में अपने घर में बच्चो के साथ सो रही थी। तबियत खरात होने के कारण दरवाजा खुला ही छोड़ दी थी, दरवाजा खुला देखकर दो व्यक्ति उसके घर में घुस गये और उसके साथ छेड़खानी करने लगे, जब वह विरोध करने लगी तो वे लोग उनके साथ मारपीट करने लगे तथा गलत नियत से स्तन तथा हाथ पकड़ने लगे तथा सूचिका के कमर के नीचे का कपड़ा उठाने लगे। जब वह चिल्लाने लगी तो उसकी सास बचाने के लिए आयी तो उसके साथ भी मारपीट किये तथा उसके

क्रमशः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 294/2026

छोटानी कुमार उर्फ काजु कुमार बनाम बिहार सरकार

लगातार

18.03.2026

चिल्लाने पर छोटे ससुर, छोटी सास एवं आस पास के लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति भाग गया। पकड़ाये व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम लक्ष्मण कुमार एवं दूसरे व्यक्ति का नाम छोटानी कुमार उर्फ काजु कुमार बताया। इसकी सूचना डायल–112 पर दिया गया, जो आकर पकड़ाये व्यक्ति लक्ष्मण कुमार को मानपुर थाना ले गयी।

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक छोटानी कुमार उर्फ काजु कुमार के विरूद्ध अभियोग है कि वह अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सूचिका अंशु देवी के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी किया तथा सूचिका के साथ के साथ मारपीट किये। केस दैनिकी के कंडिका–2 में सूचिका तथा कंडिका–3, 4, 5 एवं 15 में साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन किया है। केस दैनिकी के कंडिका–62 के अवलोकन से प्रतित होता है कि आवेदक के विरूद्ध पूर्व से मानपुर थाना कांड संख्या–42/21 लंबित है। कंडिका–65 पर्यवेक्षण टिप्पणी के अवलोकन से प्रतित होता है कि घटना में आवेदक की संलिप्तता को सत्य पाया गया है। वाद का अनुसंधान जारी है। धारा–18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत उक्त वाद में अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः इस स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचना करने के उपरांत न्यायालय आवेदक छोटानी कुमार उर्फ काजु कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** करती है।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/–
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।